[भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 22/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 13 जुलाई, 2023

विषयः व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी के संबंध में।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक हित में एफटीपी 2009–14 और एफटीपी, 2015–20 (31.03.2023 तक विस्तारित) के तहत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत संस्थापन प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के संबंध में प्रक्रिया में निम्नलिखित छूट देते हैं।

1. ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारकों के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी को पूंजीगत वस्तुओं की संस्थापना की पुष्टि करने वाला संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। डीजीएफटी को निर्धारित समय सीमा के बाद क्षेत्रीय प्राधिकारी को संस्थापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करने के लिए प्राधिकार पत्र धारकों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

2. इस मुद्दे पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रक्रिया में छूट देते हुए, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रति प्राधिकार–पत्र 10000/– रुपए के विलंब शुल्क (संरचना शुल्क के अतिरिक्त, जहाँ भी लागू हो) के भुगतान पर नियमितीकरण उद्देश्य हेतु 31.12.2023 तक निम्नलिखित के अध्यधीन ऐसे संस्थापन प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते हैंः–

i. प्राधिकार–पत्र विदेश व्यापार नीति, 2009–14 और विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के तहत जारी किए गए हैं।
ii. संस्थापन प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि में प्राप्त हुआ लेकिन उसे क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
iii. प्राधिकार–पत्र धारक ने संस्थापन प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए प्रामाणिक कारण क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं।
iv. ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र का मामला आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी/किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच/न्यायनिर्णयन के तहत नहीं है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईपीसीजी स्कीम के तहत संस्थापन प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करने में विलंब हेतु छूट प्रदान की गई है।

संतोष कुमार सारंगी
13.7.2023
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फाइल संख्या 01/36/218/13/एएम–24/ईपीसीजी से जारी)